राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार : दिल्ली जल बोर्ड
कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी : (आर0टी0आई) : निदेशक (राजस्व)
कमरा न0 413 : वरुणालय फेज –।। : करोल बाग नई दिल्ली –110005
इस आदेश के अवलोनार्थ दिल्ली जल बोर्ड की बेवसाईट
www.delhijalboard.nic.in

12542

क्रमांकः दि0ज0बो0 / प्र0अ0अ0(आर0टी0आई)अपील न0 1385 / 2015 / दिनांकः 28.10.2015 5.11.2015

श्री जगदीश कुमार,
म0 न0 15, द्वितीय तल,
खसरा न0 65 / 27,
अनमोल सोसायटी, नम्बरदार कालोनी,
दिल्ली–110084.

संयुक्त निदेशक (राजस्व)पू0 / उ0पू0

आदेश

इस आदेश द्वारा श्री जगदीश कुमार, के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 10–07–2015 का निपटान किया गया।

दिनांक 28.10.2015 को अपील की सुनवाई की गई । नियत समयानुसार अपीलकर्त्ता श्री जगदीश कुमार उपस्थित हुए एवं श्री राजेश्वर तिवारी, जनसूचना अधिकारी उपस्थित हुए ।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 10.03..2015 को अपीलकर्त्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिस पर उचित कार्यवाही नहीं होने के कारण यह अपील दिनांक 10.07.2015 को दायर की ।

आर0 टी0 आई0 की अपील का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि जनसूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारीं ने आर0 टी0 आई0 के प्रार्थनापत्र का उत्तर क्रमबद्ध तरीके से नहीं दिया है । अपील में अपीलकर्ता ने अपनी शिकायत का उल्लेख भी किया है, इस सम्बन्ध में श्री राजेश्वर तिवारी, जनसूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश के पारित होने के दस दिन के अन्दर अपीलकर्ता की शिकायत को नियमानुसार दूर कर दिया जाए ।

अपील में अपीलकर्ता ने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी शिकायत सर्तकता विभाग में भी दी है । इस सम्बन्ध में उन्हें बताया गया कि अपीलकर्ता द्वारा लगाये गए आरोप की जांच हेतु दोषी कर्मचारी के विरूध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए जनसूचना

5678
5/11/15

अधिकारी, जो कि क्षेत्रीय उप निदेशक भी हैं, ने केस उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, भविष्य में जो भी निर्णय होगा उससे अपीलकर्ता को अवगत करा दिया जाएगा ।

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया ।

यदि अपीलकर्त्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्त्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता हैं :–

केन्द्रीय सूचना आयोग,
द्वितीय तल, बी–विंग,
अगस्त कान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली– 110066

ह0/–
निधि श्रीवास्तव
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्री जगदीश कुमार, म0 न0 15, द्वितीय तल, खसरा न0 65/27, अनमोल सोसायटी, नम्बरदार कालोनी, दिल्ली–110084.
2. ~~संयुक्त~~ उप निदेशक (राजस्व) पू0/उ0पू0
3. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (उ0)–II, बुराड़ी
4. अधिशासी अभियन्ता (ई0डी0पी0), को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट पर इस आदेश को डालने हेतु।

Nidhi

प्रथम अपीलीय अधिकारी